



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 29 अगस्त 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अरुण पुत्र देवेन्द्र निवासी टिटोरा थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में थाना नरसेना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को भगा ले जाना व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2014 को थाना नरसेना पर मुअसं- 137/14 धारा- 363,366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.11.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरूप **आज दिनांक 29.08.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे पोक्सो-2 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अरुण को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर